अधिकरणः– सदस्य चौबीसवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
जिला जबलपुर(म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी–यशवंत मालवीय)

Registration No MACC/2772/2018
Filing No MACC/5619/2018
CNR No MP2001-022695-2018
Filling Date-07-08-2018

सिंकू कोल आत्मज– श्री टिडईराम कोल, आयु– लगभग 23 वर्ष, निवासी– ग्राम पिपरिया परौहा खरखरी पिपरिया परौहा, थाना व तहसील एवं जिला – कटनी (म.प्र.)

––––––**आवेदक**

–वि रू द्ध–

1. अनिल कुमार कुशवाहा आत्मज – श्री आर.सी. कुशवाहा, आयु – लगभग 33 वर्ष, निवासी – म.नं. 85, करौंदी वार्ड, कोर्ट रोड रांझी, जिला – जबलपुर (म.प्र.)
(चालक मो.सा. क्रं. एम.पी. 20 एम.एल. 8893)

2. तुलसीराम परस्ते आत्मज – श्री ए.एल. परस्ते, आयु– लगभग 50 वर्ष, निवासी– आई/31, बरगी हिल्स, न्यू शिव मंदिर, जिला– जबलपुर (म.प्र.)
(मालिक मो.सा. क्रं. एम.पी. 20 एम.एल. 8893)

3. इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1187/88 तृतीय तल, चंचला बाई कॉलेज रोड, राईट टाउन, जिला– जबलपुर (म.प्र.)
(बीमा कंपनी वाहन मो.सा. क्रं. एम.पी. 20 एम.एल. 8893)

–––**अनावेदकगण**

आवेदक द्वारा श्री मनोज गोटिया अधिवक्ता।
अनावेदक क्रं. 3 द्वारा श्री जे0पी0 सोनी अधिवक्ता।

—:: अ धि नि र्ण य ::—
(आज दिनांक 22.02.2024 को पारित)

01. आवेदक द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत दिनांक 13.03.2018 को घटित मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप आई स्थाई विकलांगता बाबत् क्षतिपूर्ति राशि 10,40,000/—रुपये मय ब्याज दिलाये जाने हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

02. आवेदन संक्षेप में है कि घटना दिनांक 13.03.2018 समय लगभग 10:30 बजे आवेदक अपने ग्राम परौहा पिपरिया से मोटर साईकिल में अपनी बुआ श्रीमति मीना बाई कोरी के घर ग्राम खमरिया जा रहा था ग्राम खमरिया में बर्मन ढाबा के पहले पहुंचा तभी मोटर साईकिल क्रं एम.पी. 20 एम.एल. 8893 के चालक ने मोटर साईकिल को तेजगति एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए लहराकर पीछे से मोटर साईकिल में जोरदार टक्कर मार दी जिसके कारण वह मोटर साईकिल सहित नीचे जमीन पर गिर गया और उसे दाहिने गाल पर गंभीर चोट लगने से गाल कट गया एवं दाहिने पैर की फियूमर हड्डी टूट गई और टेहनी के पास गंभीर चोट आई थी इसके अलावा सिर सीना व पेशाब की जगह में गंभीर चोटे आई थी जिसे तत्काल उठाकर शासकीय अस्पताल कटनी ले जाया गया परन्तु गंभीर चोट होने के कारण उसे सुधा नर्सिंग होम गोलबाजार जबलपुर में भर्ती किया गया था, जहां पर उसके पैर का एक्सरा किये जाने पर हड्डी टूटना पाया गया है एवं ऑपरेशन कर स्टील की रॉड डाली गई और पक्का प्लास्टर बांधा गया जो तीन माह तक बंधा रहा था। घटना की रिपोर्ट महेन्द्र द्वारा थाना कठला पर किये जाने पर अपराध क्रमांक 139/2018 पंजीबद्ध किया गया। वह घटना के पूर्व हष्टपुष्ट होकर किसी रोग एवं बीमारी से पीड़ित नहीं था एवं मजदूरी करके 10,000/— रूपये प्रतिमाह आय प्राप्त करता था परन्तु घटना के पश्चात् वह अपना कार्य नहीं कर पा रहा है इसलिये आवेदक द्वारा संयुक्तः एवं पृथक्तः दुर्घटना के कारण हुई क्षति से प्रतिकर स्वरूप अनावेदकगण से 10,40,000/—रूपये क्षतिपूर्ति तथा आवेदन प्रस्तुति दिनांक से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

3. प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 01 एवं 02 एक पक्षीय हैं जिनके द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है तथा अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी द्वारा आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुये आवेदन के तथ्यों को अस्वीकार कर प्रकट किया है कि घटना में लिप्त बताये गये वाहन के चालक अनावेदक कं. 1 के पास घटना के समय वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी लायसेंस नहीं था तथा उक्त वाहन बीमा पॉलसी की शर्तों के उल्लघंन में चलाया जा रहा था तथा वाहन को मिथ्या आधारों पर लिप्त किया गया है इसलिये अनावेदक कं. 3 किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देने का उत्तरदायी नहीं है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार वाद विषय की विरचना की गयी है, जिन पर सम्यक साक्ष्य विवेचन पश्चात् निकाले गये निष्कर्ष उनके सम्मुख अंकित किये जा रहे हैंः–

क.	**वाद–विषय**	**निष्कर्ष**
1.	क्या अनावेदक कं. 1 ने अनावेदक कं. 2 के स्वामित्व के वाहन मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी. 20 एम.एल. 8893 को दिनांक 13.03.2018 को समय दिन करीब 10:30 बजे स्थल ग्राम खमरिया बर्मन ढाबा के पास उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर आवेदक/आहत सिंकू कोल को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित किया ?	**प्रमाणित नहीं।**
2.	क्या उपरोक्त दुर्घटना से आई चोटों के परिणामस्वरूप आवेदक/आहत सिंकू कोल को गंभीर उपहति एवं स्थाई विकलांगता कारित हुई ?	**प्रमाणित नहीं।**
3.	क्या अनावेदक कं. 1 बिना वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति धारण किये प्रासंगिक समय पर वाहन मोटर साईकिल कं. एम.पी. 20 एम.एल. 8893 को चला रहा था ? यदि हां तो प्रभाव ?	**प्रमाणित नहीं।**

4.	क्या दुर्घटना में लिप्त उपरोक्त वाहन बीमा की शर्तों के उल्लघंन में चलाया जा रहा था ?	**प्रमाणित नहीं।**
5.	क्या आवेदक की दुर्घटना में अंशदायी एवं योगदायी उपेक्षा थी?	**प्रमाणित नहीं।**
6.	क्या आवेदक, अनावेदकगण से संयुक्त रूप से अथवा पृथक–पृथक क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है, यदि हां तो किससे एवं कितनी?	**कंडिका कं. 05 के अनुसार**
7.	सहायता एवं वाद व्यय?	कंडिका कं. 05 के अनुसार

––::–– निष्कर्षों के आधार ––::––

वाद विषय कं0 1 से 6 के संबंध में निष्कर्ष

05. आवेदक की ओर से अपने आवेदन पत्र के समर्थन में उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आवेदकगण किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि अनावेदक से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः वाद विषय कं. 1 से 7 साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं पाये जाकर आवेदन पत्र स्वीकार योग्य ना होने से निरस्त किया जाता है।

06. उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

07. अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय हो।

तद्नुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

दिनांकः– 22.02.2024
स्थान :– जबलपुर

मेरे उद्बोधन पर टंकित।
सही/–
(यशवंत मालवीय)
सदस्य
चौबीसवें मो0 दु0 दावा
अधिकरण, जबलपुर (म0प्र0)

YASHWANT MALVIYA

Digitally signed by YASHWANT MALVIYA
Date: 2024.02.22 15:50:54 +0530